5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /15 निगरानी
निगरानी– 762–III–15

1. नन्नें खां पुत्र हमीद खां निवासी ग्राम विजरौनी तहसील बदरवास जिला शिवपुरी म.प्र.

––––आवेदक

बनाम

1. आलम खां
2. गजनवी खां
3. अफज़ल खां
पुत्रगण मजीद खां निवासीगण विजरौनी तह. बदरवास जिला शिवपुरी म.प्र.
4. सम्मो खां पुत्री मजीद खां पत्नि उस्मान खां वार्ड कं. 2 नई वस्ती खनियाधाना जिला शिवपुरी
5. सकीला पुत्री मजीद खां पत्नि हयाद खां निवासी ग्राम सकदपुर बायपास जिला गुना
6. हमीद खां पुत्र इमाम खां निवासी ग्राम विजरौनी तह. बदरवास जिला शिवपुरी
7. नबाब खां पुत्र श्री हमीद खां निवासी ग्राम विजरौनी, तह. बदरवास जिला शिवपुरी म.प्र.

––––अनावेदकगण

आज दि. 10-5-15 को प्रस्तुत ... कोर्ट ... म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रक. 72/2014–15/अपील में पारित आदेश दिनांक 09.03.2015 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य :–

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि, ग्राम विजरौनी स्थित आराजी भूमि सर्वे नं. 2944 रकवा 4.432 पूर्ण भाग तथा सर्वे कं. 2929 रकवा 0.795, 2935 रकवा 0.363 तथा 2957 रकवा 0.888 कुल किता 3 कुल रकवा रकवा 2.056 हें. में से हिस्सा 1/4 अर्थात रकवा 0.514 हें. कुल किता 4 कुल रकवा 4.946 हें. पर वसीयत नामा के आधार नामांतरण हेतु नायव तह. बदरवास के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका प्रकरण कमाक 67/1997–98/अ–6 पर दर्ज किया ... [illegible] ... जारी की गई आपत्तियां आहत की गई एवं नामांतरण

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक.......762–तीन/2015 निगरानी ....जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2/1/16	उभय पक्ष के अभिभाषकों को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 72/2014-15 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 9-3-2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के अंतरिम आदेश दिनांक 9-3-2015 के अवलोकन पर पाया गया कि इस आदेश व्दारा वादग्रस्त भूमि में मौके पर खड़ी फसल को लेकर पक्षकारों के बीच झगढ़े की संभावना को ध्यान में रखकर उभय पक्ष को फसल नहीं काटने एंव हस्तक्षेप नहीं करने से निषेधित किया गया है, तदुपरांत उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 6-7-15 से अपील प्रकरण का अंतिम निराकरण कर दिया है।	

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक.......762–तीन / 2015 निगरानी ....जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अपर आयुक्त के अंतिम आदेश के विरूद्ध निगरानी भी प्रतिप्रार्थी आलम खॉ व्दारा इस न्यायालय में की गई है जिसमें अंतिम तर्क श्रवण कर लिये गये हैं। अपर आयुक्त का विचाराधीन आदेश सी0आर0पी0सी0 की धारा 145 के तहत किया गया आदेश नहीं है जैसाकि आवेदक अभिभाषक व्दारा तर्क में कहा गया है, वास्तव में उक्त आदेश यथास्थिति कायम रखने के स्वरूप का है। इस परिप्रेक्ष्य में वर्तमान परिस्थिति में उक्त आदेश में अब किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रकट नहीं होती। 4/ अतः निगरानी इसी–स्तर पर समाप्त की जाती है। सदस्य	